

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएमओ २००1 : २००८ प्रमाणित ISO 9001 : 2008 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था) (An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India) दिनाक : 21 दिसंबर, 2021

एफ-27-68/2016/एनआईओएस/वीई/डीजीटी-टीओसी

अधिसूचना- 39/2021

आईटीआई शिक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और कौशल को एकीकृत करने हेतु दिनांक 7 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस) और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी) के बीच हए समझौता जापन (एमओय्) के अन्सरण में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है :-

- यह समझौता ज्ञापन आई.टी.आई में पढ़ाए जाने वाले एन.एस.क्यू.एफ अनुपालन वाले विषयाँ (ट्रेड) के लिए, एन.आई.ओ.एस से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की शैक्षणिक समानता क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा से प्राप्त करके, आई.टी.आई शिक्षार्थियों को व्यापक स्तर पर आगे बदने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- 2. आठवीं कक्षा (8वीं) के बाद, सीटीएस /01 वर्षीय एनटीसी प्लस 01 वर्षीय एनएसी के अंतर्गत आईटीआई/एनएसटीआई में दो वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले शिक्षार्थी, एनआईओएस द्वारा एक भाषा विषय के साथ माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एनआईओएस के साथ नामांकन कर पायेंगे। इसी प्रकार, डीजीटी के सीटीएस के तहत आई.टी.आई/एन.एस.टी.आई के दो साल के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले या दसवीं कक्षा (10 वीं) के बाद 01 वर्षीय एनटीसी प्लस 01 वर्षीय एनएसी में शामिल होने वाले शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा एक भाषा विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए एनआईओएस में एक साथ नामांकन करने के योग्य हाँगे। एनआईओएस आईटीआई/एनएसटीआई के चार विषयों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर (टीओसी) स्वीकार करेगा।
- 3. कक्षा आठ (8वीं) के बाद, डीजीटी के सीटीएस के तहत आईटीआई / एनएसटीआई में एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले शिक्षार्थी, एनआईओएस के साथ माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एनआईओएस द्वारा न्यूनतम एक भाषा के साथ किसी भी दो शैक्षणिक विषयों को लेकर नामांकन करने के पात्र होंगे। इसी प्रकार, दसवीं (10वीं) के बाद डीजीटी के सीटीएस के तहत आईटीआई/एनएसटीआई के एक वर्षीय पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले शिक्षार्थी एनआईओएस दवारा प्रस्तावित न्यूनतम एक भाषा के साथ किन्हीं दो शैक्षणिक विषयों को लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए एनआईओएस में नामांकन के लिए पात्र होंगे। एनआईओएस आईटीआई/एनएसटीआई के तीन विषयों के लिए क्रेडिट ट्रांसफर (टीओसी) स्वीकार करेगा।
- 4. दसवीं कक्षा के साथ डीजीटी के सीटीएस के तहत आईटीआई/एनएसटीआई की एक वर्ष की अवधि के शिक्षार्थियों के लिए और एनआईओएस से बारहवीं कक्षा प्रमाणन प्राप्त करना चाहते हैं: माध्यमिक परीक्षा वर्ष उत्तीर्ण करने से न्यूनतम 2 वर्ष की पूर्णाविध उच्चतर माध्यमिक के शैक्षणिक प्रमाणीकरण के लिए पात्रता के रूप में आवश्यक है।



-1

- 5. ऐसे शिक्षार्थी, जिन्होंने सीटीएस के तहत किसी भी आईटीआई/एनएसटीआई से पहले ही एक/दो वशीय या 01 वशीय एनटीसी प्लस 01 वशीय एनएसी, एनएसक्यूएफ अनुपालित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे भी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक प्रमाणन के लिए एनआईओएस के साथ नामांकन कर सकते हैं, यथास्थिति; इस शर्त के अधीन कि, एन.एस.क्यू.एफ योग्यता एन.आई.ओ.एस/प्रवेश में पंजीकरण/प्रवेश की तारीख से 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो।
- 6. इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी, एन.आई.ओ.एस के विषयों के किसी भी समूह से कोई भी दो अतिरिक्त विषयों का चयन कर सकते हैं।
- 7. एन.आई.ओ.एस मानदंडों के अनुसार, शिक्षार्थियों से प्रवेश, टी.ओ.सी और परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।
- 8. प्रमाणन के लिए, आई.टी.आई/एन.एस.टी.आई ट्रेड में प्राप्त अंकों को एन.आई.ओ.एस परीक्षा योजना के अनुसार आनुपातिक रूप से परिवर्तित किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निदेशक (ट्यावसायिक शिक्षा)

प्रतिलिपि:

- 1. सभी विभागाध्यक्ष
- 2. निजी सहायक (अध्यक्ष)- माननीया अध्यक्ष की जानकारी के लिए
- 3. सभी क्षेत्रीय निदेशक (सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत्)
- संयुक्त निदेशक (ट्यावसायिक शिक्षा)
- 5. संयुक्त निदेशक (वि. स. से)
- 6. उप निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) l और ll
- 7. एसएपी आवश्यक कार्य हेतु और शिक्षार्थीओं के सूचनार्थ एन.आई.ओ.एस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए।



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओं १००1 : 2008 प्रमाणित /ISO 9001 : 2008 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था) (An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

F-27-68/2016/NIOS/VE/DGT-TOC

Dated: 21st December, 2021

NOTIFICATION-39/2021

In pursuance of the signing of Memorandum of Understanding (MoU) between National Institute of Open Schooling (NIOS) and Directorate General of Training (DGT) under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 7th December 2021 for the benefit of ITI learners to integrate education and skilling, the following are notified:

- The MoU has opened pathways for ITI learners in their horizontal and upward mobility by obtaining the academic equivalence of Secondary and Senior Secondary from NIOS through credit transfer facility for the NSQF compliant trade taught in ITI.
- 2. The learners joining two-year courses in ITI/NSTI under CTS /01-year NTC plus 01 Year NAC after class VIII (8th) will be eligible to enroll simultaneously with NIOS for Secondary Course with one language subject being offered by NIOS. Similarly, learners joining two years course of ITI's/NSTI under CTS of DGT or 01-year NTC plus 01 Year NAC after class X (10th) will be eligible to enroll simultaneously in NIOS for Senior Secondary level with one language subject being offered by NIOS. The NIOS will accept Transfer of Credit (ToC) for four subjects of ITI/NSTI.
- 3. The learners joining one-year courses in ITI/NSTI under CTS of DGT after class VIII(8th) will be eligible to enroll simultaneously with NIOS for Secondary Course with any two academic subjects with minimum one language offered by NIOS. Similarly, learners joining one year course of ITI's/NSTI under CTS of DGT, after class X (10th) will be eligible to enroll simultaneously in NIOS for Senior Secondary level with any two academic subjects with minimum one language from offered by NIOS. The NIOS will accept Transfer of Credit (ToC) for three subjects of ITI/NSTI.
- 4. For learners of one-year duration of ITI/NSTI under CTS of DGT with Class X and seeking to acquire class XII certification from NIOS; minimum 2 years gestation period from passing secondary examination year is required as eligibility for academic certification of Senior Secondary.
- 5. The learners who have already completed one/two years NSQF compliant course from any ITI/NSTI under CTS or 01-year NTC plus 01 Year NAC may also enroll with NIOS for Secondary or Senior Secondary Certification as the case may be; subject to condition that the NSQF qualification is not older than 10 years from the date of registration/admission in NIOS/admission.
- 6. In addition, the learners can take any two additional subjects from any group of subjects of NIOS.

THE

- 7. The admission, ToC and Examination fee will be charged from the learners as per NIOS norms.
- 8. For certification purpose the marks obtained in the FFI/NSFI wade will be proportionately converted as per NIOS Scheme of Examination.

This is issued with the approval of the competent authority.

(S.K.-Prisad)
Director (Vocational Education)

Distribution:

- 1. All HoDs
- 2. PA to Chairperson for information of Hon'ble Chairperson
- 3. All Regional Directors (for information and necessary action)
- 4. JD (Vocational)
- 5. JD (SSS)
- 6. DD (Vocational) I & II
- 7. SAP for doing the needful and uploading on NIOS portal for information of learners.